सचिका स0–7/बजट–46–28/2021 – 573(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

**शैलेश कुमार,**
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा मे,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0),**
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक– 24/03/2025

**विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में राशि रु0 10,00,00,000/–(रुपये दस करोड़ ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 मे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवशी नगर, पटना मे 400 बेड के हड्डी रोग सबधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु विभागीय पत्राक–1192(10), दिनाक–06 03 2019 से कुल रु० 2,15,00,00,000/– (रुपये दो अरब पन्द्रह करोड) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

2– भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनांक–24 01 .2025, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनाक–24.01 2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–69/वि0 दिनाक–27 01 2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I " के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को उक्त योजना हेतु कुल रु0 47 00 करोड मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान मे उक्त स्वीकृत राशि (रू० 47 00 करोड) के विरूद्ध मात्र रू० 10 00 करोड के व्यय की स्वीकृति दी जानी है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

| क्र0 स0 | वित्तीय वर्ष | राशि (रु0 में) | व्ययादेश स0 एव दिनाक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018–19 | 44,70,000/– | स0–43(10), दिनांक–11 03.2019 |
| 2 | 2022–23 | 20,00,00,000/– | स0–207(7), दिनाक–21 09 2022 |
| 3 | 2023–24 | 22,00,00,000/– | स0–483(7), दिनाक–16 02 2024 |
| कुल योग– | | **42,44,70,000/–** | |

4– उक्त परिप्रेक्ष्य मे वित्तीय वर्ष 2018–19 मे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवशी नगर, पटना मे 400 बेड के हड्डी रोग सबधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड रुपये) मात्र की स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप मे स्वीकृत रू० 47 00 करोड़ की राशि मे से रू0 10,00,00,000/–(रुपये दस करोड ) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

D:\Lalu pd\Rajayadesh\2024 25\Loknayak Jaiprakash Narayan Hos doc

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1192(10) दिनाक–06 03 2019 मे निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6– इस कार्य हेतु मांग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाये, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0104–शहरी क्षेत्र मे राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210010510104, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत बजट उपबध/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

7– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनांक–06 05.06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05.2017 एव 12888/वि०, दिनांक–03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9– वित्त विभागीय पत्र सख्या–632वि०, दिनाक–04 07 2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792/वि०, दिनाक–06 12 2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

10– वित्त विभागीय पत्राक–432/वि०, दिनाक–29 03 2023 एव पत्राक–69/वि०, दिनांक–27.01 2025 के आलोक मे ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12– प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या– 7/बजट–46–28/2021 के पृष्ठ–38/टि0 पर प्राप्त है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापाक:– 573 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक– 24/03/2025

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवशी नगर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।